ASSOCIATION OF UNAIDED
PAIVATE SCHOOLS
LAKHIMPUR KHERI
PH: 9628113366

AUPS

प्रेस-नोट

सेवा में

मीडिया प्रभारी

समस्त दैनिक व साप्ताहिक समाचार पत्र

दिनांक - 31 जुलाई, 2020

कोरोना से प्रभावित अभिभावकों के लिए फीस में 20% तक की छूट

देशव्यापी महामारी के चलते पिछले कई माह से अभिभावकों के द्वारा फीस में छूट की मांग उठायी जा रही थी जिसको प्रदेश की unaided private school association से संबधित सभी स्कूलों ने समझते हुए कोरोना से आर्थिक रूप से प्रभावित हुए अभिभावकों के लिए composite annual fees में 20 % तक की छूट की घोषणा की है

unaided private school association का हिस्सा होने के चलते लखीमपुर के प्राइवेट इंग्लिश माध्यम स्कूल भी इस छूट को अभिभावकों को देने में तथा उनकी इस दौर में मदद करने में गर्व का अनुभव कर रहे हैं

कोरोना प्रभावित अभिभावकों की पात्रता अगले पृष्ठ पर है

MAIL:

AUPS.LMP@GMAIL.COM

ASSOCIATION OF UNAIDED
PAIVATE SCHOOLS
LAKHIMPUR KHERI
PH: 9628113366

AUPS

कोरोना काल में अभिभावकों को छूट की पात्रता

किसान;

1. तीन एकड़ या उससे कम किसान 20%
2. पांच एकड़ या उससे कम का किसान 10 %

व्यापारी;

1. कोरोना काल में बिलकुल बंद व्यापार, जैसे मैरिज लॉन, सिनेमा हाल इत्यादि 20 %
2. कोरोना काल में प्रभावित व्यापार (जो पंजीकृत नहीं हैं या इनकम टैक्स नहीं भरते हैं) 15 %

कर्मचारी;

1. जिन कर्मचारियों ने कोरोना के चलते अपनी नौकरी गवां दी है
2. जो प्राइवेट कर्मचारी हैं और उनकी कुल तन्खवाह 15,000 से कम है 15%
3. जो प्राइवेट कर्मचारी हैं और उनकी कुल तनख्वाह कोरोना के कारण काटने के बाद 20,000 से कम आ रही है 10%

स्व नियोजित;

1. स्व-नियोजित जैसे अधिवक्ता, प्राइवेट ट्यूशन टीचर, अकाउंटेंट इत्यादि 15%

नोट; निम्नलिखित व्यक्ति इस छूट से बाहर रहेंगें

1. सरकारी कर्मचारी
2. 20,000 से अधिक सैलरी पाने वाले कर्मचारी
3. बड़े व्यापारी (जो GST रजिस्टर्ड विक्रेता हैं तथा इनकम टैक्स भरते हैं)
4. किराने (खाद्य) तथा मेडिकल (चिकित्सा) से सम्बन्ध रखने वाली सभी दुकानदार या व्यक्ति
5. बड़े (5 एकड़ से अधिक) के किसान
6. प्रतिष्ठित स्व-नियोजित व्यक्ति जैसे डॉक्टर, चार्टर अकाउंटेंट, इनकम टैक्स अधिवक्ता इत्यादि

अभिभावक तथा प्रक्रिया को अगले पृष्ठ पर परिभाषित किया गया है

MAIL:

AUPS.LMP@GMAIL.COM

ASSOCIATION OF UNAIDED
PAIVATE SCHOOLS
LAKHIMPUR KHERI
PH: 9628113366

AUPS

अभिभावक:

1. अभिभावक का अर्थ इस विषय में माता, पिता अथवा बच्चे का खर्च उठाने वाले व्यक्ति को माना जायेगा
2. यदि पिता बेरोजगार है एवं माता सरकारी कर्मचारी है या माता कोई अन्य कार्य करती है तो अभिभावक की गणना में बच्चे की माँ को माना जायेगा
3. यदि परिवार संयुक्त है और पिता बेरोजगार है और बच्चे की फीस उनका चाचा या उसके बाबा भरते थे तो अभिभावक की पात्रता की गणना फीस देने वाले अभिभावक के हिसाब से की जायेगी

प्रक्रिया

1. अभिभावक को स्कूल कार्यालय में जाकर इस सन्दर्भ में लिखित प्रार्थना पत्र देना होगा
2. स्कूल इसको अपने स्तर से सत्यापित करेगा तथा सत्य होने की स्थिति में अभिभावक को 15 दिनों के भीतर सूचित कर देगा
3. यदि अभिभावक स्कूल में जाकर प्रार्थना पत्र नहीं देता है तो बाद में वह छूट लेने का अधिकारी नहीं होगा
4. प्रार्थना पत्र देने की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2020 है, प्रार्थना पत्र के साथ अप्रैल व् अगस्त माह की फीस जमा करना अनिवार्य है
5. छूट को लेने के लिए अभिभावक पर पिछले सत्र अर्थात 2019-20 की कोई फीस बकाया नहीं होनी चाहिए
6. अगस्त माह से फीस हर माह की 15 तारीख को जमा होनी चाहिए अथवा अभिभावक इस छूट का उस माह फायदा नहीं उठा सकेगा
7. अप्रैल से जुलाई माह की फीस को अगस्त से नवम्बर माह की फीस में समायोजित किया जायेगा

नोट

1. यदि किसी बच्चे को स्कूल द्वारा कोई छूट पहले से दी जा चुकी है तो वह इस छूट को लेने का अधिकारी नहीं होगा ।

With warm regards

RAMAN JEET SINGH JOHAR
PRESIDENT

MAIL:
AUPS.LMP@GMAIL.COM